



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 812]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 2011/वैशाख 22, 1933

No. 842]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2011/VAISAKHA 22, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2011

का.आ. 1035(अ).—प्रारूप नियम, अर्थात्, ई—अपशिष्ट (प्रबंधन, और हथालन)नियम, 2010 भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय संख्यांक का.आ. 1125 (अ) तारीख 14 मई, 2010 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 14 मई, 2010 में प्रकाशित किया गया था और उन सभी व्यक्तियों द्वारा जिनके इनमें प्रभावित होने की संभावना थी से उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिनों की समाप्त होने से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 14 मई, 2010 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों के बारे में जनता से उक्त अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर दिया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय— ।

आंशिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ई—अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2011 है।
- (2) ये तारीख 1 मई, 2012 से प्रभावी होंगे।

2. लागू होना,— ये नियम अनुसूची - 1 में यथा विनिर्दिष्ट वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर या संघटकों के विनिर्माण, बिक्री, क्रय और प्रसंस्करण में लगे प्रत्येक उत्पादक, उपभोक्ता या बड़े

उपभोक्ता, ई—अपशिष्ट के संग्रह केंद्र, भंजक और पुनःचक्रणकर्ता पर लागू होंगे और निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे—

- (क) अधिनियम के अधीन बनाए गए बैटरीज (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001 के अंतर्गत आने वाली बैटरीयां;
- (ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उदयम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में यथापरिभाषित सूक्ष्म एवं लघु उदयम; और
- (ग) परमाणु उर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले रेडियोधर्मी अपशिष्ट।

3. परिमाणाएँ :— इन नियमों में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा आपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम : 1986(1986 का 29) अभिप्रेत है;
- (ख) "प्राधिकार" से नियम 11 के उपनियम (2) के अधीन प्रदत्त ई—अपशिष्ट के हथालन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण परिवहन, भंजन, पुनःचक्रण और व्ययन के लिए अनुज्ञा प्राप्त करना अभिप्रेत है;
- (ग) "बड़े उपभोक्ता" से वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्करों के बड़े उपयोक्ता अभिप्रेत है, जैसे केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बैंक, शैक्षिक संस्थान, बहुराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय अभिकरण और निजी कंपनियां जो कारखाना अधिनियम, 1948, कंपनी अधिनियम, 1956 और लद्यु ओर मध्यम उदयम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं;
- (घ) "केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" ये जल (केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1974 (1974 का 6) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत हैं;
- (ङ) "संग्रहण केन्द्र" से ई—अपशिष्ट के संग्रहण के लिए वैयक्तिक रूप से अथवा संयुक्त रूप से कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या कोई पदाविहित अभिकरण या कोई कम्पनी या कोई संगम द्वारा स्थापित कोई केन्द्र अभिप्रेत हैं;
- (च) "उपभोक्ता" ये बड़े उपभोक्ताओं का छोड़कर, वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर का उपयोग करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (छ) "भंजक" से कोई व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या पदाविहित अभिकरण, या कोई कम्पनी या कोई संगम अभिप्रेत है जो प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर का भंजन करके संघटकों को अलग करने के कार्य में लगा हो;
- (ज) "व्ययन" से कोई प्रचलन अभिप्रेत है जिससे सुरक्षित भूमि में जिसमें पुनःचक्रण, पुनःप्राप्ति या पुनःउपयोग करना नहीं है और जिसके अंतर्गत भौतिक—रसायन, जैविक उपचार, भस्मीकरण तथा व्ययन भी हैं;
- (झ) "ई—अपशिष्ट का पर्यावरणीय रूप से युक्तियुक्त प्रबंध" से यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सभी अप्रेक्षित उपाय करना अभिप्रेत है जिसमें अपशिष्टों का प्रबंधन ऐसी रीति से किया जाता है जो ऐसे अपशिष्ट में अन्तर्विष्ट परिसंकटमय पदार्थों के परिणामस्वरूप हो सकते हैं, से स्वास्थ्य और पर्यावरण के विरुद्ध किसी विपरीत प्रभावों से सुरक्षा हो;
- (ज) "वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर से ऐसे उपस्कर अभिप्रेत हैं जो वैद्युत धारा पर आधारित हो या विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में पूरी तरह से कार्यरत हो;

- (ट) ई—अपशिष्ट से अपशिष्ट वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर अभिप्रेत है जिसमें संपूर्ण अथवा उनके भाग जो विनिर्माणकारी और मरम्मत की प्रक्रिया से उत्पन्न होते हो; जिन्हें परिव्यक्त किया जाना हो;
- (ठ) "विस्तारित उत्पादक दायित्व से वैद्युत या इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर के किसी उत्पादक का दायित्व अभिप्रेत है जो कि उनके उत्पादों के निर्माण के पश्चात् भी जारी रखा हो जब तक कि उनके उत्पादों का उपयोग अवधि की समाप्ति तक उनका पर्यावरण दृष्टि से उचित प्रबंधन न कर लिया हो;
- (ड) "सुविधा" से कोई अव स्थान अभिप्रेत है जहाँ ई—अपशिष्ट के संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, पुनःपरिष्करण, खंडकरण पुनःचक्रण, उपचार और व्ययन की आनुषंगिक प्रक्रियाओं को किया जाता है;
- (ण) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं;
- (त) ऐतिहासिक ई—अपशिष्ट से अभिप्रेत अनुसूची—। में यथा विनिर्दिष्ट वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर से उत्पन्न ई—अपशिष्ट है जो इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को उपलब्ध था;
- (थ) "लावारिस उत्पादों" से गैर ब्रांड के या संयोजित अनुसूची—। में यथाविनिर्दिष्ट वैद्युत तथा इलैक्ट्रॉनिक उत्पाद के साथ—साथ जो ऐसे उत्पाद अभिप्रेत है जो किसी कंपनी द्वारा उत्पादित किए गए हों, लेकिन जिसका प्रचालन बंद हो गया हो या उत्पादन रोक दिया गया हो;
- (इ) जो अपने स्वयं के ब्रांड के अधीन वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर का निर्माण और उनकी बिक्री के लिए प्रस्थापना करता हो; या
- (ii) जो अपने स्वयं ब्रांड के अधीन किए गए अन्य विनिर्माताओं अथवा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उत्पादित वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर की बिक्री प्रस्थापना करता हो;
- (iii) जो आयातित वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर की बिक्री प्रस्थापना करता हो;
- (द) 'पुनः चक्रणकर्ता' ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रयुक्त वैद्युत तथा इलैक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा संयोजन अथवा उनके संघटक के पुनः चक्रण अथवा प्रसंस्करण में लगा हो ;
- (ध) अनुसूची से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत हैं;
- (न) "संघ राज्य क्षेत्र के संबंध राज्य सरकार"—से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत हैं;
- (प) "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समिति अभिप्रेत हैं;
- (फ) "परिवहक" के कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ई—अपशिष्ट के वायु मार्ग, रेलमार्ग, सड़क मार्ग या जल स्थल से दूर मार्ग द्वारा ई—अपशिष्ट के परिवहन में लगा हुआ हैं;

- (ब) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और पद जो इसमें प्रयुक्त हैं, परिभाषित नहीं हैं, किन्तु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

अध्याय - ॥


उत्तरदायित्व

4. उत्पादक के उत्तरदायित्व :— उत्पादक निम्नलिखित के लिए उत्तरादायी होगा—

- (1) वह वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के विनिर्माण के दौरान उत्पन्न किसी ई—अपशिष्ट के संग्रहण करने और पुनःचक्रण या निपटान के लिए प्रणालन करेगा।
- (2) विस्तारित उत्पादकर्ता उत्तरदायित्व (विउउ) सिद्धान्त के अनुरूप अपने उत्पादों की कार्य क्षमता की समाप्ति के कारण उत्पन्न ई—अपशिष्ट का संग्रहण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे ई—अपशिष्ट रजिस्ट्रीकृत भंजकों या पुनःचक्रकों के पास प्रणालीकृत किया जाए। उत्पादक या आवश्यक, संग्रहण अभिकरण को प्राधिकृत करके संग्रहण और प्रणालीकरण को सुनिश्चित करेगा।
- (3) समस्त वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर के लिए उसकी कार्य क्षमता की समाप्ति कर संग्रहण केन्द्रों अथवा पुनः वापस लेने की प्रणाली को निजी रूप में अथवा सामूहिक रूप से स्थापित करेगा।
- (4) ई—अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से उचित प्रबंधन में सन्निहित लागत को पूरा करके वित्त पोषण और एक प्रणाली की व्यवस्था करेगा जो कि स्वयं के उत्पादों की कार्यक्षमता की समाप्ति पर और उपलब्ध ऐतिहासिक अपशिष्ट उस तारीख को उत्पन्न हो जिस तारीख को यह नियम प्रवृत्त हों। ऐसी वित्त पोषण व्यवस्था पारदर्शी होगी। उत्पादक ऐसी वित्त व्यवस्था को या तो निजी रूप में या एक सामूहिक स्कीम के रूप में शामिल होकर स्थापित करने का चुनाव कर सकता है।
- (5) संपर्क ब्यौरे जैसा पता, टेलिफोन सं./सहायता टेलीफोन लाइन सं. और ई—मेल और प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों के बारें में उपभोक्ताओं अथवा बड़े उपभोक्ताओं को प्रदान करेगा, ताकि इस्तेमाल में लाये गए वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपकरण को लोटाने की सुविधा हो सके।
- (6) निम्नलिखित के संबंध में प्रकाशनों, विज्ञापनों, पोस्टरों या संरचना के अन्य साधनों द्वारा और उपस्करों के साथ सूचना बुकलेटों के जरिए जागरूकता उत्पन्न करना :

 - (i) नियम 13 के उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट ई—अपशिष्ट इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर में परिसंकटमय संघटकों पर जानकारी देगा;
 - (ii) ई—अपशिष्ट के अनुप्रयुक्त हथालन, दुर्घटना स्वरूप टूटफूट, क्षति और / अथवा अनुप्रयुक्त पुनःचक्रण के संबंध में परिसंकटमय संघटकों की सूचना देगा;

- ‘(iii) यह करें या यह न करें के साथ इसके उपयोग के बाद उपस्कर को हथालन के बारे में अनुदेश देगा;
- (IV) उत्पाद पर नीचे दिए अनुसार कोई दृश्यमान, पठनीय और अमिट प्रतीक चिन्ह चिपकाना ताकि निपटान के निर्धारित अपशिष्ट से भरे कूड़ेदान में ई-अपशिष्ट को डाल जाने से रोका जा सके।



- (7) नियम 9 के अधीन निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसरण में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा प्रदूषण समिति से प्राधिकार पत्र प्राप्त करेगा।
- (8) हथालन किए गए ई-अपशिष्ट का प्ररूप 2 में अभिलेख रखेगा। ऐसे अभिलेख संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा संवीक्षा के लिए उपलब्ध होने चाहिए।
- (9) संबंधित राज्य नियंत्रण बोर्ड अथवा प्रदूषण नियंत्रण समिति को जून के 30 वें दिन को या इससे पहले उस वित्तीय वर्ष के बाद जिससे कि यह विवरणी संबंधित हो, प्ररूप 3 में वार्षिक विवरणी फाइल करेगा।

5. संग्रहण केंद्रों के उत्तरदायित्व – संग्रहण केंद्र (केन्द्रों), –

- (1) यथास्थिति संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से नियम के अधीन विहित प्रक्रियाओं के अनुसार, प्राधिकार प्राप्त करेगा और साधारण जनता को ऐसे संग्रहण केन्द्र (केन्द्रों) के पते, टेलीफोन नं. ई-मेल आदि जैसे ब्यौरे उपलब्ध करवाएगा।
- (2) यह सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा एकत्रित ई-अपशिष्ट रीति से उस समय तक रखे हुए हैं जब तक कि उन्हें यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत भंजक (को) या पुनःचक्रणकर्ता (ओं) के पास नहीं भेजा जाता;
- (3) यह सुनिश्चित करेगा कि ई-अपशिष्ट के भण्डारण और परिवहन से पर्यावरण को काई नुकसान नहीं होता है; और
- (4) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को उस वित्तीय वर्ष के पश्चातवर्ती जिससे विवरणी संबंधित है, 30 जून को या उससे पूर्व प्रारूप 3 में वार्षिक विवरणी, फाइल करेगा।

- (5) प्ररूप 2 में संभला गया ई—अपशिष्ट का अभिलेख रखेगा और ऐसे अभिलेख संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा संवीक्ष के लिए उपलब्ध होने चाहिए।

6. उपभोक्ता या बड़े उपभोक्ता के उत्तरदायित्व :-

- (1) अनुसूची—I में सूचीबद्ध वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के उपभोक्ता या बड़े उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि ई—अपशिष्ट का प्रणालन प्राधिकार संग्रहण केन्द्रों या रजिस्ट्रीकृत भंजकों या पुनःचक्रणकर्ताओं को किया जाए या उत्पादकों द्वारा प्रदान की जाने वाली चुनने या वापस लेने वाली सेवाएं लेंगे;
- (2) बड़े उपभोक्ता प्ररूप —2 में, संभला गया ई—अपशिष्ट का अभिलेख रखेगा और ऐसे अभिलेख संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा संवीक्ष के लिए उपलब्ध करेगा।

7. भंजक के उत्तरदायित्व — प्रत्येक भंजक—

- (1) नियम 9 और नियम 11 के अधीन विहित प्रक्रियाओं के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार और रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा;
- (2) यह सुनिश्चित करेगा कि ई—अपशिष्ट के भण्डारण और परिवहन के दौरान पर्यावरण को कोई क्षति न हो;
- (3) यह सुनिश्चित करेगा कि भंजक प्रक्रिया से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े;
- (4) यह सुनिश्चित करेगा कि सुविधा और भंजक प्रक्रियाएं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय—समय पर प्रकाशित मानकों और मार्गनिर्देशों के अनुसार हो;
- (5) यह सुनिश्चित करेगा कि भंजित ई—अपशिष्ट, सामग्रियों के प्रत्युद्धरण के लिए पृथक किया जाए और रजिस्ट्रीकृत पुनःचक्रण सुविधाओं को भेज दिया जाए;
- (6) यह सुनिश्चित करेगा कि गैर पुनःचक्रण भंजित/गैर प्रत्युद्धरण संघटक प्राधिकार उपचार भण्डारण और निपटान सुविधाओं को भेज दिया जाए;
- (7) प्ररूप —3 में विवरणी, यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्रों की समिति को उस वित्तीय वर्ष, जिससे विवरणी संबंधित है, के पश्चात्वर्ती 30 जून को या उससे पहले प्रस्तुत करेगा;
- (8) सामग्रियों को प्रत्युद्धरण या परिष्करण के लिए प्रक्रियागत नहीं करेगा, यदि वह सामग्रियों के परिष्करण प्रत्युद्धरण के लिए पुनःचक्रणकर्ता के रूप में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं।

8. पुनःचक्रणकर्ता /पुनःसंस्करणकर्ता के उत्तरदायित्व — प्रत्येक पुनःचक्रणकर्ता

- (1) नियम 1 और नियम 11 के अधीन—विहित प्रक्रियाओं के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करेगा;

- (2) सुनिश्चित करेगा कि उक्त सुविधा और पुनःसंस्करण प्रक्रियाएं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय समय पर प्रकाशित मार्गदर्शन सिद्धांतों में अधिकथित उल्लिखित मानकों के अनुसार हैं;
- (3) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्रों की समिति के निरीक्षण के लिए सभी अभिलेख उपलब्ध कराएगा;
- (4) यह सुनिश्चित करेगा उससे उत्पन्न अपशिष्ट का निपटान एक परिसंकटमय अपशिष्ट शोधन भड़कण निपटान सुविधा में किया गया है;
- (5) उस वित्तीय वर्ष जिससे संबंधित विवरणी है से पश्चातवर्ती 30 जून, को या उससे पहले यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्रों की समिति के समक्ष प्रारूप 3 में वार्षिक विरणी फाइल करेगा।

अध्याय – 111

ई—अपशिष्ट के हथालना के लिए प्राधिकार और रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया

9. प्राधिकार प्रदान किये जाने के लिए प्रक्रिया

- (1) अनुसूची—। में सूचीबद्ध वैधुत तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रत्येक उत्पादक और ई—अपशिष्ट के संग्रह केन्द्र, भंजक और पुनःचक्रणकर्ता से यथास्थिति, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्रों प्रदूषण नियंत्रण से, एक प्राधिकार प्राप्त करेगा।
- (2) अनुसूची—। में सूचीबद्ध वैधुत तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रत्येक उत्पादक और ई—अपशिष्ट के संग्रह केन्द्र, भंजक और पुनःचक्रणकर्ता प्राधिकार प्रदान किए जाने के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को इन नियमों के आरंभ होने की तारीख स प्रारम्भ होने वाली तीन मास की अवधि के भीतर प्ररूप 1 में आवेदन करेगा;

परन्तु परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचलन) नियम, 2008 के उपबंधों के अधीन प्राधिकार किसी व्यक्ति से न नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व ऐसे प्राधिकार की अवधि समाप्त होने तक प्राधिकार हेतु आवेदन करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और कि ई—अपशिष्ट के ऐसे पुनःचक्रणकर्ता से जिसे परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचलन) नियम, 2008 के उपबंधों के अधीन प्राधिकार नहीं किया गया है, उपर्युक्त उप नियम (1) में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करना अपेक्षित होगा।

- (3) प्राधिकार हेतु हर प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समिति ऐसी जांच के पश्चात् जो कि वह उचित समझे, और इस बात का समाधान होने के पश्चात् कि आवेदक के पास ई—अपशिष्ट के सुरक्षित

हथालन के लिए समुचित सुविधाएं, तकनीकी क्षमताएं और उपस्कर हैं आवेदक का नबे दिनों की अवधि के भीतर प्ररूप 1 (क) में केवल प्राधिकार स्थान में सुरक्षित रूप से प्रचालन करने के लिए प्राधिकार प्रदान कर सकेगी, जो पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

- (4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्रों की प्रदूषण समिति आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ही कोई भी प्राधिकार प्रदान करने से इंकार करेगी।
- (5) इन नियमों के अधीन प्राधिकार प्रत्येक व्यक्ति उसके द्वारा संभले जारने वाले ई-अपशिष्ट का प्ररूप —2 में अभिलेख रखेगा और प्ररूप —3 में विनिर्दिष्ट विवरण का उल्लेख करते हुए एक वार्षिक विवरणी तैयार करेगा और उसे राज्य नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति का उस वित्तीय वर्ष, जिससे विवरणी संबंधित है, के पश्चातवर्ती 30 जून या उससे पहले प्रस्तुत करेगा।
- (6) किसी प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदक प्ररूप—1 में उसकी समाप्ति से साठ दिन पहले किया जाएगा और राज्य नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर जांच करने के पश्चात् और इन शर्त के अधीन रहत हुए कि अधिनियम और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों अथवा प्राधिकार में विनिर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन की कोई रिपोर्ट नहीं है, प्राधिकार का नवीकरण कर सकेगी।
- (7) अनुसूची—। में सूचीबद्ध वैधुत तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रत्येक उत्पादक, ई-अपशिष्ट के संग्रह केन्द्र, भंजक और पुनःचक्रणकर्ता, जहां कहीं भी अपेक्षित हो प्राधिकार में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के लिए सभी कदम उठाएगा।
- (8) संबंधित राज्य की दशा में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्रों की दिशा में प्रदूषण नियंत्रण समिति ई-अपशिष्ट के पर्यावरणीय 'दृष्टि से सुदृढ़ प्रबंध के लिए इन नियमों के अधीन अधिरोपित शर्तों की विशिष्टियों का उल्लेख करने वाला एक रजिस्ट्रर रखेगी और यह किसी भी हितबद्ध व्यक्ति या प्रभावित व्यक्ति या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

10. प्राधिकार को निलंबित या रद्द की शक्ति –

- (1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति, यदि उनकी यह राय है कि प्राधिकार का धारक, प्राधिकार की किसी शर्त या अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये किन्हीं नियमों में किसी उपबंध का अनुपालन करने में असफल रहा है और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसके कारणों का लिखित रूप से अभिलेखित करते हुए लोकहित में, ऐसी अवधि के लिए जो वह आवश्यक समझे, इन नियमों के अधीन जारी प्राधिकार के निलंबन या निरस्तीकरण के आदेश कर सकेगी।
- (2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति प्राधिकार का निलंबन या रद्द होने पर ऐसे व्यक्ति को जिसका प्राधिकार निलंबित या रद्द किया गया है, ई-अपशिष्ट के सुरक्षित भंडारण के लिए निर्देश दे सकेगी, और ऐसा व्यक्ति ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया

11. रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने की प्रक्रिया,—

- (1) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर ई—अपशिष्ट का प्रत्येक भंजक या पुनः चक्रणकर्ता रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने या उसका नवीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति संलग्न करके राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को तीन प्रतियों में आवेदन करेगा राज्य निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रक्रिया संलग्न होगी:—
- (i) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापना करने के लिए दी गई सहमति;
 - (ii) जिला उद्योग केन्द्र या इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;
 - (iii) जिला उद्योग केन्द्र या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा जारी संयंत्र और मशीनरी की अधिष्ठापित का क्षमता का सबूत;
 - (iv) नवीकरण की दशा में, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति व इस प्रयोजन के लिए पदाविहित के इस अभिकरण पदाविहित अभिकरण से यथा लागू परिसंकटमय अपशिष्ट के बहिःसाव और स्नाव मानकों तथा अभिक्रियान्वयन और व्ययन के अनुपालन प्रमाण पत्र:

परन्तु परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचलन) नियम, 2008 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति से इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व ऐसे प्राधिकार की अवधि समाप्त होने तक प्राधिकार के लिए आवेदन करना आपेक्षित नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ई—अपशिष्ट के ऐसे पुनःचक्रणकर्ता से जो परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचलन) नियम, 2008 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, उपर्युक्त उपनियम (1) में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करना आपेक्षित होगा।

- (2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपना यह समाधान हो जाने पर की आवेदन हर प्रकार से पूर्ण है और आवेदक ई—अपशिष्ट के पुनःचक्रण और प्रसंस्करण के लिए सुदृढ़ तकनीकों और पर्याप्त तकनीकी क्षमताओं, अपेक्षित सुविधाओं और उपस्कर का उपयोग करता है तो ऐसे आवेदक को केवल प्राधिकृत स्थान पर सुरक्षित प्रचालन करने के लिए आवश्यक शर्तें अनुज्ञात करते हुए रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त कर सकेगा।

- (3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रजिस्ट्रीकरण के आवेदन का, सभी संदर्भों में पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर निपटारा करेगा।
- (4) इन नियमों के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण, प्रारम्भ में इसके जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए और उसके पश्चात् पश्चातवर्ती नवीकरण होने पर उसे जारी होने की तारीख से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा, जब तक की इकाई द्वारा इसका प्रचालन बंद नहीं कर दिया जाता है या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निलंबित या रद्द नहीं कर दिया जाता है।
- (5) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा रजिस्ट्रीकरण को अनुदत्त करने या नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा।
- (6) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने के लिए बताई गई शर्तों के अनुपालन को मॉनीटर करेगा।
- (7) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण को रद्द या निलंबित कर सकेगा यदि उसके पास यह विश्वास किया जाने का कारण है कि रजिस्ट्रीकरण पुनःचक्रणकर्ता उसे सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् और उसके कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण की किन्हीं शर्तों में से किसी को पूरा करने या उसके अधीन बनाए गये नियमों के किन्हीं उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है।
- (8) किसी रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन प्ररूप-4 में इसकी समाप्ति से कम से कम दो महीने (60 दिन) पहले किया जाएगा और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा प्रदूषण नियंत्रण समिति प्रत्येक मासले के गुणावगुण आधार पर जांच करने के बाद इस शर्त के अध्यधीन कि अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा रजिस्ट्रीकरण में विनिर्दिष्ट शर्तों उल्लंघन की कोई सूचना नहीं है, रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण कर सकेगी।
- (9) भंजक या पुनःचक्रणकर्ता क्रय किए गए और प्रसंस्कृत ई-अपशिष्ट का अभिलेख करेगी रखेंगे और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्ररूप-3 में प्रत्येक वर्ष की 30 जून को या उससे पहले पूर्ववर्ती में अपनी गतिविधियों की वार्षिक विवरण फाइल करेंगे।
- (10) केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, समय –समय पर पुनःचक्रण प्रक्रियाओं के निष्पादन के मानकों के लिए मार्ग दर्शक सिद्धान्त जारी कर सकेंगे।

अध्याय - IV

12. ई-अपशिष्ट भंडारण के लिए प्रक्रिया, -

- (1) ई-अपशिष्ट का प्रत्येक उत्पादक, संग्रहण केन्द्र, भंजक या पुनःचक्रणकर्ता एक सौ अस्सी दिन के अनधिक अवधि के लिए ई-अवशिष्ट का भंडारण कर सकेगा और ऐसे अपशिष्टों के संग्रह, विक्रय, अन्तरण, भंडारण और पृथक्करण का अभिलेख रखेगा और निरीक्षण के लिए इन अभिलेखों को उपलब्ध कराएगा:

परन्तु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, निम्नलिखित मामलों में उक्त अवधि को एक वर्ष तक विस्तारित कर सकेगा, अर्थात्:-

- (i) राज्य के संग्रहण केन्द्र, जिनके पास कोई रजिस्ट्रीकृत भंजक या पुनःचक्रण प्रसुविधा नहीं है या राज्य के भंजक, जिनके पास कोई रजिस्ट्रीकृत पुनःचक्रण प्रसुविधा नहीं हैं;
- (ii) वह अपशिष्ट जिसकी आवश्यकता उसके पुनःचक्रण या पुनः उपयोग के लिए किसी प्रक्रिया के विकास के लिए विनिर्दिष्ट भंडारण के लिए है ।

अध्याय V

वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर के विनिर्माण में परिसंकटमय पदार्थों के उपयोग में कमी लाना

13. वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर के विनिर्माण में परिसंकटमय सामग्री के उपयोग में कमी लाना

- (1) वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर का प्रत्येक उत्पादक यह सुनिश्चित करेगा कि न वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर में सीसा, पारा, कैडमियम, षजीठसंयोगी क्रोमियम, पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफेनिल्स या पॉलीब्रोमिनेटेड डाईफेनिल ईथर्स अंतर्विष्ट न हों :

परन्तु सामांगी सामग्री में वजन का अधिकतम 0.1 प्रतिशत सांद्रण मान का सीसा, पारा, कैडमियम, षएठसंयोगी क्रोमियम, पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफेनिल्स या पॉलीब्रोमिनेटेड डाईफेनिल ईथर्स तथा सामांगी सामग्री में वजन का अधिकतम 0.1 प्रतिशत सांद्रणमान का कैडमियम अनुज्ञात किया जाएगा ।

- (2) अनुसूची -2 में सूचीबद्ध उपयोजक नियम 13 के उपनियम के (1) के उपबंधों से छूट प्राप्त होंगे ।
- (3) नियम 13 का नियम उपनियम (1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से 6 वर्ष पूर्व विनिर्मित या बाजार में रखे गए वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर के अवयवों पर लागू नहीं होगा ।
- (4) वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर में उपयोग कि गई परिसंकटमय सामग्री में ऐसी कमी की दशा में, उपस्कर के संघटकों पर विस्तृत जानकारी उत्पाद सूचना पुस्तिका में दी जाएगी ।

- (5) नए वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर का आयात या बाजार मे रखा जाना केवल उन उपस्करों के लिए अनुज्ञात होगा जो उपनियम (1) के उपबंधों का अनुपालन करते हैं।
- (6) रक्षा और अन्य समान रणनीतिक उपयोजकों के लिए प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर का विनिर्माण और आपूर्ति उपनियम (1) के उपबंधों से अपवर्जित होगी।
- (7) विनिर्मित या आयातित वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर में परिसंकटमय पदार्थों के उपयोग में ऐसी कमी इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्राप्त कर ली जाएगी।

अध्याय VI

प्रकीर्ण

14. प्राधिकरणों के कर्तव्य : — इस नियमों के उन्य उपबंधों के प्राधिकरण, अनुसूची -3 में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करेगा।

15. वार्षिक रिपोर्टः—

- (1) राज्य बोर्ड और समितियां, प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक प्ररूप 5 में इन नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे।
- (2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई—अपशिष्ट के प्रबंधन पर समेकित वार्षिक पुनर्विलोकन रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रत्येक वर्ष 30 दिसम्बर से पहले अपनी सिफारिशों सहित इसे केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा।

16. ई—अपशिष्ट का परिवहन :-

- (1) राज्य जहां से अपशिष्ट उत्पन्न या एकत्रित है से भिन्न किसी राज्य मे किसी प्रसुविधा के अंतिम व्ययन के लिए परिवहन की दशा में, परिवाहक संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करेगा परिवाहक राज्य (राज्यों)के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अतंरण की सूचना देगा।
- (2) राज्य जहां से अपशिष्ट उत्पन्न एकत्रित है से भिन्न किसी राज्य भंजक का पुनः चक्रण के लिए परिवहन की दशा परिवाहक संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करेगा और परिवाहक राज्य (राज्यों)के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अतंरण की सूचना देगा।

17. दुर्घटना की सुचना देना और अनुवर्ती कार्रवाई,— जहां ई—अपशिष्ट की सुविधा प्रक्रिया अथवा ई—अपशिष्ट के परिवाहन के दौरान यदि कोई दुर्घटना होती है, तो यथस्थिति, उत्पादक, परिवाहक, भंजक, मरम्मतकर्ता या पुनःचकण्ठा, वह तुरंत दुर्घटना के विषय में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ शासित प्रदेश की समितियों को शीघ्र ही इसकी रिपोर्ट देगा।

18. ई—अपशिष्ट का संग्रहण, भंडारण, परिवहन, पृथक्करण पुनःपरिष्कारक, भंजक, पुनःचक्रण और व्ययन समय—समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रकाशित किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों में विहित प्रक्रिया के अनुसार होगा।

अनुसूची ।

(नियम 2(1), 3 (ज) और (ट) देखें)

इन नियमों के अधीन वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर के प्रवर्ग

क्रम सं.	वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर के प्रवर्ग
(i)	<p>सूचना तकनीकी और दूरसंचार उपस्कर :</p> <p>केन्द्रीकृत डाटा प्रोसेसिंग मेन फ्रेम्स, मिनीकंप्यूटर पर्सनल कम्प्यूटिंग पर्सनल कम्प्यूटर (इनपुट और आउटपुट यंत्रों सहित सी पी यू) लेपटाप (इनपुट और आउटपुट यंत्रों सहित सी पी यू) नोटबुक, नोट पैड इत्यादि प्रिंटर्स जिसके अंतर्गत कार्टरिज भी है प्रतिलिपि उपस्कर वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटर यूजर टर्मिनल और सिस्टम फैसिमिली टेलेक्स टेलीफोन पे टेलीफोन कॉर्डलेस टेलीफोन सेल्यूलर टेलीफोन ऑन्सरिंग सिस्टम</p>
(ii)	<p>उपभोक्ता वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक्स :</p> <p>टेलीविजन सैट, (द्रव क्रिस्टल डिस्प्ले तथा लाइट एमिटिंग डायोड प्रौद्योगिकी पर आधारित सैट सहित) केन्द्रीकृत एयर कन्डीशनिंग संयंत्रों को छोड़कर रेफ्रीजरेटर, वाशिंग मशीन, एयर कन्डीशनर</p>

अनुसूची ॥

[नियम 13(2)देखें]

आवदेन-पत्र, जिन्हें नियम 13 के उप-नियम (i) की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त है (अनुसूची ।) में सूचीबद्ध ई-अपशिष्ट की श्रेणियों के लिए लागू

	छूट
1	एकल कैप्ड (संहत) फ्लॉरोसेंट लैंप जो इनसे अधिक नहीं : प्रति बर्नर
1(क)	सामान्य प्रकाश प्रयोजनों के लिए < 30 डब्ल्यू : 5 मि.ग्रा.
1(ख)	सामान्य प्रकाश प्रयोजनों के लिए ≥ 30 डब्ल्यू और < 50 डब्ल्यू : 5 मि.ग्रा.
1(ग)	सामान्य प्रकाश प्रयोजनों के लिए ≥ 50 डब्ल्यू और < 150 डब्ल्यू : 5 मि.ग्रा.
1(घ)	सामान्य प्रकाश प्रयोजनों के लिए ≥ 150 डब्ल्यू : 15 मि.ग्रा.
1(ङ)	गोलाई या चौकोर आकार तथा ट्यूब व्यास ≤ 17 मि.मी. के साथ सामान्य प्रकाश प्रयोजनों के लिए : 7 मि.ग्रा.
1(च)	विशेष प्रयोजनों के लिए : 5 मि.ग्रा.
2(क)	सामान्य प्रकाश प्रयोजनों जो के लिए दोहरी कैप्ड लिनियर फ्लॉरोसेंट लैंपों में पारा (प्रति लैंप) जो इनके अधिक नहीं :
2(क)(1)	सामान्य जीवनकाल के साथ त्रि-बैंड फोस्फर तथा एक ट्यूब व्यास > 9 मि.मी. (अर्थात् टी2): 4 मि.ग्रा.
2(क)(2)	सामान्य जीवनकाल के साथ त्रि-बैंड फोस्फर तथा एक ट्यूब व्यास < 9 मि.मी. और ≥ 17 मि.मी. (अर्थात् टी5): 3 मि.ग्रा.
2(क)(3)	सामान्य जीवनकाल सहित त्रि-बैंड फोस्फर तथा एक ट्यूब व्यास > 17 मि.मी. और ≤ 28 मि.मी. (अर्थात् टी8): 3.5 मि.ग्रा.
2(क)(4)	सामान्य जीवनकाल सहित त्रि-बैंड फोस्फर तथा एक ट्यूब व्यास > 28 मि.मी. (अर्थात् टी12): 5 मि.ग्रा.
2(क)(5)	दीर्घ जीवनकाल सहित त्रि-बैंड (≥ 25000 एच): 8 मि.ग्रा.
2(ख)	अन्य फ्लॉरोसेंट लैंपों में पारा (प्रति लैंप) जो इनसे अधिक नहीं :
2(ख)(1)	लिनियर हालोफास्फेट लैंप > 28 मि.मी. (अर्थात् टी 10 और टी12): 10 मि.ग्रा.
2(ख)(2)	गैर-लिनियर हालोफास्फेट लैंप (सभी व्यास): 15 मि.ग्रा.
2(ख)(3)	ट्यूब व्यास > 17 मि.मी. (अर्थात् टी9) सहित गैर-लिनियर फोस्फर लैंप : 15 मि.ग्रा.
2(ख)(4)	अन्य सामान्य प्रकाश और विशेष प्रयोजनों के लिए लैंप (अर्थात् इंडक्शन लैंप) : 15 मि.ग्रा.
3	विशेष प्रयोजनों के लिए ठडे कैथोड फ्लॉरोसेंट लैंपों तथा बाह्य इलैक्ट्रोड फ्लॉरोसेंट लैंपों में पारा (सीसीएफएल और ईईएफएल) (प्रत्येक लैंप):
3(क)	कम लंबाई (≤ 500 मि.मी.): 3.5 मि.ग्रा.
3(ख)	मध्यम लंबाई (> 500 मि.मी. और ≤ 1500 मि.मी.): 5 मि.ग्रा.
3(ग)	अधिक लंबाई (> 1500 मि.मी.): 13 मि.ग्रा.
4(क)	अन्य कम दाब उत्सर्जित लैंपों में पारा (प्रति लैंप) : 15 मि.ग्रा.
4(ख)	सामान्य प्रकाश प्रयोजनों के लिए उच्च दाब सोडियम (वाष्प) लैंपों में पारा जो उच्च रंग वाले इंडेक्स सहित लैंपों में आरए >60 : से अधिक न हो (प्रति बर्नर)
4(ख)-I	पी ≤ 155 डब्ल्यू : 30 मि.ग्रा.
4(ख)-II	155 डब्ल्यू $<$ पी ≤ 405 डब्ल्यू : 40 मि.ग्रा.
4(ख)-III	पी > 405 डब्ल्यू : 40 मि.ग्रा.
4(ग)	सामान्य प्रकाश प्रयोजनों के लिए अन्य उच्च दाब सोडियम (वाष्प) में पारा (प्रति बर्नर) इनसे अधिक न हो:

4(ग)-I	पी \leq 155 डब्ल्यू : 25 मि.ग्रा.
4(ग)-II	155 डब्ल्यू < पी \leq 405 डब्ल्यू : 30 मि.ग्रा.
4(ग)-III	पी > 405 डब्ल्यू : 40 मि.ग्रा.
4(घ)	उच्च दाब पारा (वाष्प) लैंपों (एचपीएमवी) में पारा
4(झ)	धातु हैलाइड लैंपों (एमएच) में पारा
4(च)	विशेष प्रयोजनों के लिए अन्य उत्सर्जन लैंपों में पारा जिनका उल्लेख विशेष रूप से इस अनुसूची में न किया गया हो।
5(क)	कैथोड रे ट्यूब के कांच में सीसा
5(ख)	फ्लोरोसेंट ट्यूब के कांच में सीसा जो 0.2 % भार से अधिक नहीं होगा
6(क)	मशीनिंग प्रयोजनों के लिए इस्पात में मिश्रण घटक के रूप में सीसा तथा गैल्वेनाइज्ड इस्पात में 0.35% सीसा भार तक
6(ख)	एलुमीनीयम में मिश्रण तत्व के रूप में सीसा 0.4% सीसा भार तक
6(ग)	तांबा मिश्रण 4% सीसा भार तक
7 (क)	उच्च गलन तापमान प्रकार टांकों में सीसा (अर्थात् 85% या उससे अधिक भार वाले सीसा आधारित मिश्रण)
7(ख)	स्विचिंग, सिंगनलिंग, पारेषज तथा दूर संचार हेतु नेटवर्क प्रबंधन के लिए सर्वर, मंदारया तथा भंडारण विन्यास प्रणालियों हेतु टांकों में सीसा
7(ग)- I	विद्युतकीय तथा इलैक्ट्रोनिक घटक जिनमें डाईएलैक्ट्रिक मृत्तिका के अलावा कांच अथवा मृत्तिका में सीसा सम्मिहित हो अर्थात् पाई जो इलैक्ट्रोनिक उपकरण, अथवा एक कांच या मृत्तिका मैट्रिक्स मिश्रण।
7(ग)-II	125 वी एसी अथवा 250 वी डीसी या अधिक केरेटेड वोल्टेज के लिए कैपोसिटरों में डाई इलैक्ट्रिक मृत्तिका में सीसा
7(ग)-III	125 वी एसी अथवा 250 वी डीसी के रेटेड वोल्टेज के लिए कैपोसिटरों में डाई इलैक्ट्रिक मृत्तिका में सीसा
8(क)	एक शाट पैलेट प्रकार के थर्मल आउट आफ में कैडमियम तथा इसके कंपाउंड
8(ख)	विद्युतीय कान्टेक्ट्स में कैडमियम तथा इसके कंपाउंड
9	शीतल धोल में 0. 75% भार तक अवशोषण प्रशीतकों में कार्बन इस्पात शीतल प्रणाली के एंटीकोरोजन एजेंट के रूप में हेक्सावेलेंट क्रोमियम
9(ख)	तापन, वातावरण, एवं कंडीशनिंग तथा प्रशीतक अनुप्रयोग के लिए रेफ्रिजिरेंट सम्मिहित कम्प्रेशरों के लिए वियरिंग शेल्स तथा बुशेज में सीसा (एचवीएसीआर)
11(क)	सी-प्रेस कंप्लेनिंग पिन कनेक्टर प्रणालियों में प्रयुक्त सीसा
11(ख)	सी-प्रेस कम्प्लेन्ट पिन कनेक्टर प्रणालियों से भिन्न में प्रयुक्त सीसा
12	थर्मल कंडक्शन मोड्यूल सी-रिंग के लिए एक कोटिंग सामग्री के तौर पर प्रयुक्त
13(क)	दृष्टिय अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त सफेद कांच में सीसा
13(ख)	फिल्टर कांचों और परावर्तन मानकों के लिए प्रयुक्त कांचों में कैडमियम और सीसा
14	पिनों और 80% से अधिक और 85% से कम भार युक्त सीसे की मात्रा वाले माइक्रोप्रोसेसरों के पैकेज के बीच जोड़ने के लिए दो तत्वों से अधिक वाले टांकों में सीसा
15	समेकित सर्कट फिलिम पैकेजों के अंदर अर्ध-कंडक्टर डाइ और कैरियर के मध्य एक श्रम विद्युतीय कनेक्शन पूरा करने के लिए टांकों में सीसा
16	सिलिकेट कोटेड ट्यूबों वाले लिनियर इनर्केडिसेट लैंपों में सीसा
17	व्यावसायिक रिप्रोग्राफी अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त उच्च सघनता उत्सर्जन (एचआईडी) में रेडिएंट एजेंट के तौर पर सीसा हेलिडे
18(क)	उत्सर्जन लैंपों के फ्लोरोसेंट पाउडर (भार द्वारा 1 % अथवा कम) जब इनका उपयोग डाइजोप्रिंटिंग रिप्रोग्राफी, लिथोग्राफी, कीट ट्रैक्स, फोटोरसायन और

	SMS((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)एसएमएस((एसआर, बीए)2एमजीएसआई23ओ7:पीबी) जैसे फोस्फोरस सन्निहित प्रसंस्करणों को संसाधित करने के लिए विशेषीकृत लैंपों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।
18(ख)	BSP(BaSi2O5:Pb) बीएसपी (बीएसआई23ओ5:पीबी) जैसे फास्फोरस युक्त टैनिंग लैंपों के रूप में प्रयोग करते समय उत्सर्जन लैंपों के फ्लोरोसेंट पाउडर (भार द्वारा 1 % सीसा अथवा कम) में एक्टिवेटर के रूप में सीसा
19	मुख्य समामेलन के रूप में विशिष्ट कंपोजिशनों में PbBiSn-Hg and PbInSn-Hg पीबीबीआईएसएन-एचजी तथा पीबीआईएनएसएन-एचजी सहित सीसा तथा कम्पैक्ट ऊर्जा बचत लैंपों में अनुषंगिक समामेलन के तौर पर पीबीएसएन-एचजी (ईएसएल)
20	बंधक अग्रभाग के लिए प्रयुक्त सीसे में सीसा आक्साइड तथा द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन (एलसीडी) के लिए प्रयुक्त फ्लैट फ्लोरोसेंट लैंपों का पृष्ठभाग। (एलसीडीएस)
21	बोरोसिलिकेट तथा सोडा लाइम कांचों जैसे सीर्सों पर एनैमल के लिए मुद्रण स्याही में सीसा तथा कैडमियम
23	0.65 एमएम तथा उससे कम की पिच सहित अन्य कनेक्टरों से भिन्न फाइन पिच कंपोनेट्स की परिष्कृतों में सीसा
24	छिद्र चक्रिकीय एक प्लेनर ऐरे सीरेमिक बहुपरतीय कैपोसिटरों के माध्यम से मशीन्ड के टांके लगाने के लिए टांकों में सीसा
25	ढांचागत तत्वों मुख्यता सील फ्रिट और फ्रिट रिंग में प्रयुक्त सतही कंडक्शन एलैक्ट्रान एमिट्ट प्रदर्शन (एसईडी) में सीसा आक्साइड
26	काले नीले लैंपों के कांच के लिफापे में सीसा आक्साइड
27	125 डीबी एसपीएल तथा उससे ऊपर के ध्वनिक शवित स्तरों के कई घरों के लिए प्रचालन हेतु नामोःस्टि) उच्च शक्ति में प्रयुक्त ट्रांसड्यूजर्स के लिए टांके के तौर पर सीसा एलाय
29	क्रिस्टल सीसा में सीसा बाउंड
30	100 डीबी (ए) तथा अधिक ध्वनि दाव स्तरों के साथ उच्च शक्ति वाले लाउडस्पीकरों में प्रयुक्त ट्रांसड्यूसर्स में आवाज कॉयल पर सीधे अवस्थित विद्युतीय कंडक्टरों के लिए विद्युतीय/यांत्रिक टांकाज्वाइंट के तौर पर कैडमियम
31	पारा मुक्त फ्लोरोसेंट लैंपों में टांका लगाने की सामग्रियों में सीसा (अर्थात् उदाहरणार्थ द्रव क्रिस्टल प्रदर्श, डिजाइन अथवा औद्योगिक प्रकाश)
32	आरगोन तथा क्रिप्टोज्न लेजर ट्यूबों के लिए विंडो एसेम्बली बनाने के लिए प्रयुक्त सील फ्रिट में सीसा आक्साइड
33	विद्युत ट्रांसफार्मरों में 100 यूएम व्यास तथा कम मोटी तांबा तारों में टांके लगाने के लिए टांकों में सीसा
34	सर्मट आधारित ट्रिमर पोर्टेशियोमीटर तत्वों में सीसा
36	प्रति प्रदर्श 30 एमजी तक तत्व सहित डीसी प्लाज्मा प्रदर्शों में कैथोड स्पटरिंग कूनहिबिटर के तौर पर प्रयुक्त पारा
37	जस्ता बोरेट कांच की बाढ़ी के आधार पर उच्च वोल्टेज डायोड्स की प्लेरिंग परत में सीसा
38	एल्युमिनियम बांडेज बेरीलियम आक्साइड पर प्रयुक्त मोटी फिल्म पेस्ट में कैडमियम और कैडमियम आक्साइड
39	ठोस अवस्था प्रदीपन या प्रदर्श प्रणालियों में प्रयोग हेतु रंग कनवर्टिंग में कैडमियम ॥-VI एलईडी (< 10 यूजी सीडी प्रति एमएम ² प्रकाश-उत्सर्जन)

अनुसूची III

(नियम 14 देखें)

प्राधिकरण की सूची और उसके तत्सानी कर्तव्य

क्रम सं.	प्राधिकरण	अनुरूप कर्तव्य
1.	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली	<ul style="list-style-type: none"> I. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ राज्य की समितियाँ समन्वय करना। II. ई— अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से उचित प्रबंध के लिए दिशानिर्देश तैयार करना। III. ई— अपशिष्ट उपन्न होने और उसकी प्रसंस्करण का मूल्यांकन करना। IV. ई— अपशिष्ट की प्रसंस्करण और पुनःचक्रण के लिए मानकों और विनिर्देशों की सिफारिश करना। V. ई— अपशिष्ट का दस्तावेजीकरण, आंकड़ा संकलन और उसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइटों पर अपलोड करना। VI. प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। VII. मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। VIII. मंत्रालय द्वारा इन नियमों के अंतर्गत प्रदत्त कोई अन्य कार्य परिसंकटमय पदार्थों (आर ओ एच एस) के प्रयोग में कमी करना। X. परिसंकटमय पदार्थों में कमी करने, आर ओ एच एस अनुपालन के लिए आई उद्योग हेतु पहले। XI. आर ओ एच एच अनुपालन के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। XII. ग्रीन डिजाइन/उत्पादों के लिए प्रोत्साहित और प्रमाणन।
2.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की समितियाँ	<ul style="list-style-type: none"> I. ई— अपशिष्ट का सूचीकरण II. प्राधिकरण प्रदान करना और उसका नवीकरण। III. ई— अपशिष्ट पुनः चक्रणकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण। IV. प्राधिकार और रजिस्ट्रीकरण शर्तों की मानीटरी का अनुपालन की मानीटरी। V. प्राधिकार आदि के लिए लगाई गई शर्तों की सूचना का रखरखाव की सूचना। VI. पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ पुनःचक्रण को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना। VII. इन नियमों के अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करना। VIII. मंत्रालय द्वारा इन नियमों के अधीन प्रत्यायोजित कोई अन्य कार्य।
3.	शहरी स्थानीय निकाय (नगर सिमिति/नगर निगम)	<ul style="list-style-type: none"> I. यह सुनिश्चित करना कि नगरीय ठोस अपशिष्ट में मिश्रित ई— अपशिष्ट सही प्रकार से पृथक्, संग्रहित कर या तो प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र या भंजक या पुनः चक्रणकर्ता को भेज दिया है। II. यह सुनिश्चित करना कि लावरिश उत्पादों से उत्पन्न हुआ ई— अपशिष्ट संग्रहित कर प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र या भंजक या पुनः चक्रणकर्ता को भेज दिया है।

प्ररूप 1

(नियमों 9 (2) देखें)

ई— अपशिष्ट के जनन/संग्रहण/ भंडारण/भंजन/पुनःचक्रण के लिए प्राधिकार प्राप्त करने के लिए
आवेदन पत्र

द्वारा

सेवा में,
सदस्य सचिव,

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

प्रदूषण नियंत्रण समिति

महोदय,
मैं/हम ई— अपशिष्ट के संग्रहण/भंडारण/शोधन के लिए ई— अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालना) नियम, 2011 के नियम 11(2) और 11 (6) के अंतर्गत/प्राधिकार के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर रहा हूँ/रहे हैं।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

कोड सं.:

क्या इकाई, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र में स्थित है (हाँ/नहीं)

आवेदक द्वारा भरा जाए

भाग— क : सामाच्य

क) इकाई का नाम और पूरा पता, टेलिफोन नं., ई मेल और संपर्क का अन्य व्यौरा :
(ख) के लिए प्राधिकार की आवश्यकता है (उचित गतिविधि/गतिविधियों में चिन्ह लगाएं) :

- (i) जनन *
- (ii) संग्रहण*
- (iii) भंजन*
- (iv) पुनःचक्रण*

(ग) प्राधिकार के नवीनीकरण के मामले में पूर्व प्राधिकार सं. और तारीख

2. क्या इकाई ई— अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालना) नियम, 2011 में परिभाषित ई— अपशिष्ट उत्पन्न या प्रसंस्करित कर रही है :

- (i) जनन *
- (ii) प्रसंस्करण

*जो लागू न हो उसे काट दें।

3. (क) परियोजना पर लगाई गई कुल पूँजी :
- (ख) उत्पादन शुरू होने का वर्ष
- (ग) स्थापना की सहमति की मंजूरी की तारीख :
- (घ) संचालित करने की सहमति की मंजूरी की तारीख :

भाग – ख : ई—अपशिष्ट

4. : ई—अपशिष्ट का ब्यौरा

(क)	ई—अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालना) निम्न, 2011 के अन्तर्गत परिभाषित उत्पन्न ई—अपशिष्ट का प्रकार :	
(ख)	उत्पन्न हथालित/संग्रहित/भंजित/पुनःचक्रित ई—अपशिष्ट की कुल मात्रा।	
(ग)	संयंत्र में भंडारण का तरीका :	
(घ)	शोधन और व्ययन की विधि :	
(ङ)	संयंत्र की स्थापित क्षमता :	

भाग – ग भंजन और पुनःचक्रण सुविधा

5. शामिल किये जाने वाले सुविधाएँ के प्रस्ताव (संलग्न किया जाना है) का विवरण :

- (i) स्थल की अवस्थिति (मानचित्र उपलब्ध कराए)।
- (ii) प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का विवरण।
- (iii) प्रतिदिन प्रसंस्कृत होने वाले अपशिष्ट का प्रकार और मात्रा।
- (iv) स्थल मंजूरी (स्थानीय प्राधिकरण से, यदि कोई हो)।
- (v) प्रसंस्कृति ई—अपशिष्ट की उपयोगिता।
- (vi) अवधेष के व्ययन की विधि (विवरण दिया जाए)।
- (vii) प्रतिदिन प्रसंस्कृत अथवा निस्तारित किए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा।
- (viii) भंजन/प्रसंस्कृति होने वाले ई—अपशिष्ट की श्रेणियों का विवरण।
- (ix) कार्यप्रणाली और संचालन का विवरण।
- (x) लीचेट्स के उपचार सहित पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए किये जाने वाले उपाय।
- (xi) परियोजना पर किया गया निवेश और अनुमानित वापसी।
- (xii) संयंत्र में काम कर रहे श्रमिकों की सुरक्षा के लिए किये जाने वाले उपाय।

स्थान :

हस्ताक्षर :

(नाम :)

तारीख :

पद :

प्ररूप 1(क)
(नियमों 9 (3) देखें)

ई—अपशिष्ट के जनन/संग्रहण/भंडारण/भंजन/पुनःचक्रण के लिए प्राधिकार पाने के लिए प्ररूप।

1. (क) प्राधिकार और (ख) जारी करने की तारीख
2. पर स्थित परिसरों पर ई—अपशिष्ट के जनन, संग्रहण, भंडारण, भंजन और पुनःचक्रण के लिए को प्राधिकार मंजूर किया जाता है।
3. ई—अपशिष्ट के जनन, संग्रहण, भंडारण, भंजन और पुनःचक्रण के लिए प्राधिकार की मंजूरी दी जाती है।
4. प्राधिकार से की अवधि तक प्रवृत्त रहेगा।
5. प्राधिकार नीचे दी गई शर्तों के अधीन और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन तत्समय प्रवृत्त नियमों में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अधीन है।

हस्ताक्षर :

तारीख :

पद :

प्राधिकार की निबंधन और शर्तें

1. प्राधिकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन नियमों के उपबंधों के अनुपालन में होगा।
2. प्राधिकार या उसका नवीनीकरण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की समिति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के अनुरोध पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
3. प्राधिकृत व्यक्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की समिति की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना ई—अपशिष्टों को किराये, उधार, विक्रय, अंतरण या अन्यथा परिवहन नहीं करेगा।
4. प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन में यथा उल्लिखित कार्य काल कि दशाओं के रूप में कार्मिकों, उपस्करों में कोई अप्राधिकृत परिवर्तन उसके प्राधिकार भंग परिनिश्चित करेगा।
5. प्राधिकृत व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रचालन बंद करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की समिति की पूर्व अनुमति ले।
6. प्राधिकार के नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन नियम 9 के उपनियम (6) में अधिकथित किया जायेगा।

प्रूफ 2
(नियमों 4 (8), 5 (5) और 9 (5) देखें)

हथालन किए गए ई— अपशिष्ट के अभिलेखों के रखरखाव के लिए प्रूफ ।

1.	उत्पादक / संग्रहण केन्द्र / भंजक / पुनःचक्रणकर्ता / बड़े उपभोक्ता का नाम और पता		
2.	प्राधिकार *		
	पंजीकरण के जारी होने की तारीख		
3.	प्राधिकार / पंजीकरण की वैद्यता		
4.	हथालन / जनित किए गए ई— अपशिष्ट का प्रकार और उसकी मात्रा	श्रेणी	मात्रा
		मद का विवरण	
5.	भंडारित ई— अपशिष्ट का प्रकार और उसकी मात्रा	श्रेणी	मात्रा
		मद का विवरण	
6.	प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र / रजिस्ट्रीकृत भंजक / रजिस्ट्रीकृत पुनःचक्रणकर्ता को भेजे गए ई— अपशिष्ट का प्रकार और उसकी मात्रा	श्रेणी	मात्रा
	गतव्य के नाम, पता और संपर्क का व्यौरा	मद का विवरण	
7.	ढोए गए ई— अपशिष्ट का प्रकार और उसकी मात्रा	श्रेणी	मात्रा
	गतव्य के नाम, पता और संपर्क का व्यौरा	मद का विवरण	
8.	मरम्मत ई— अपशिष्ट का प्रकार और उसकी मात्रा	श्रेणी	मात्रा
	मरम्मत की गई सामग्री के गंतव्य का नाम, पता और संपर्क का व्यौरा	मद का विवरण	
9.	भंजित ई— अपशिष्ट कब प्रकार और उसकी मात्रा	श्रेणी	मात्रा
	गंतव्य का नाम, पता और संपर्क का व्यौरा	मद का विवरण	
10.	पुनःचक्रित ई— अपशिष्ट का प्रकार और उसकी मात्रा	श्रेणी	मात्रा
	गंतव्य का नाम, पता और संपर्क का व्यौरा	मद का विवरण	
11.	उपचारित और निस्तारित अपशिष्ट का प्रकार और उसकी मात्रा	श्रेणी	मात्रा
		मद का विवरण	

* जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप 3

(नियमों 4 (9), 5 (4), 6 (2), 7 (7) और 9 (5) देखें)

वार्षिक विवरणी को भरने के लिए प्ररूप।

[उत्पादक/संग्रहण केन्द्र भंजक/पुनःचक्रणकर्ता द्वारा वित्त वर्ष विवरणी सं संबंधित आगामी 30 जून तक को प्रस्तुत किया जाने वाला]

वार्षिक रूप से मीट्रिक टन (एमटी) या किलोग्राम (केजी) में मात्रा

1.	उत्पादक/संग्रहण केन्द्र/भंजक/ पुनःचक्रणकर्ता का नाम और पता		
2.	प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और टेलिफोन और फैक्स नंबरों तथा ई—मेल पते सहित पूर्ण पता		
3.	अनुसूची में सूचीकृत (सूची संलग्न करें) ई—अपशिष्ट में से प्रत्येक श्रेणी के लिए वर्ष के दौरान बेचे गए/खरीदे गए (प्रसंस्करण) के लिए भेजे गए अपशिष्ट की कुल मात्रा		
	उपरोक्त का व्यौरा	प्रकार	मात्रा
3 (क)*	भंजक खरीदे गए और प्रसंस्कृत तथा भेजे गए अपशिष्ट की मात्रा मीट्रिक टन में (श्रेणी वार)		
3 (ख)*	पुनःचक्रणकर्ता: खरीदे गए/प्रसंस्कृत ई— अपशिष्ट की मात्रा मीट्रिक टन में (श्रेणी वार)		
4.	उपयुक्त 3(क—ख) के संबंध में गंतव्य का नाम और पूरा पता		
ख	जैसा कि 3 (क)और 3 (ख) में लागू होने योग्य विभिन्न श्रेणियों के ई— अपशिष्ट से पृथक किए गए /वसूल की गई सामग्री का प्रकार और उसकी मात्रा	प्रकार	मात्रा

नोट: आवेदक उत्पादकों से प्राप्त धन (यदि कोई हो) और लेखा परिक्षित प्रमाण—पत्र सहित उसकी
उपयोगिता का विवरण उपलब्ध कराएगा।

✓ उन पुनःचक्रणकर्ताओं की सूची संलग्न करें जिन्हें पुनःचक्रण के लिए ई— अपशिष्ट भेजा गया है।

* जो लागू न हो उसे काट दें।

स्थान

दिनांक

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्ररूप 4
[नियम 11(1)देखें]

**ई-अपशिष्ट के पुनः चक्रण के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से उचित प्रबंधन प्रणाली युक्त के रजिस्ट्रीकरण के लिए
आवेदन का प्ररूप (तीन प्रतियों में दिया जाए)**

1.	इकाई का नाम और पता :			
2.	संपर्क हेतु व्यक्ति का पदनाम, दूरभाष/फैक्स सहित :			
3.	आरंभ की तारीख :			
4.	कर्मकारों की संख्या (ठेका श्रमिकों सहित)			
5.	सहमति विधिमान्यता	क. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तक विधिमान्य ख. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तक विधिमान्य		
6.	प्राधिकार वैधता	ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालना) नियम, 2011 तक विधिमान्य		
7.	विनिर्माण प्रक्रिया	कृपया प्रत्येक उत्पाद (उत्पादों) के लिए विनिर्माण प्रक्रिया प्रवाह डायग्राम संलग्न करें		
8.	उत्पाद और उत्पादन (एमटीए) की संस्थापित क्षमता	उत्पाद	संस्थापित क्षमता (एमटीए)	
9.	पिछले तीन वर्षों के दौरान विनिर्भित उत्पाद (जैसा भी लागू हो)	वर्ष	उत्पाद	मात्रा
10.	पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे माल की खपत (जैसा भी लागू हो)	वर्ष	उत्पाद	मात्रा
11.	जल उपभोग	औद्योगिक घनमीटर/प्रतिदिन घरेलू घनमीटर/प्रतिदिन		
	अब तक संदर्भ जल उपकर (यदि लागू हो)			
	सहमति के अनुसार उत्पन्न अपशिष्ट जल घनमीटर/प्रतिदिन	वास्तविक (पिछले तीन माह को औसत) औद्योगिक घनमीटर/प्रतिदिन घरेलू घनमीटर/प्रतिदिन		
	अपशिष्ट जल शोधन (शोधन स्कीम का प्रवाह डायग्राम उपलब्ध कराएं)	औद्योगिक घरेलू		

	अपशिष्ट जल बहिसाव	मात्रा घनमीटर/प्रतिदिन अवस्थिति			
		शोधित अपशिष्ट जल का विश्लेषण pH, BOD, COD, SS, O & G और अन्य कोई प्राचल जैसाकि एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा अनुबंधित किया जाए (विवरण संलग्न करें)			
12.	वायु प्रदूषण नियंत्रण				
	क. प्रत्येक प्रसंस्करण इकाई, उपयोगिता आदि के लिए संस्थापित उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों का प्रवाह रेखांचित्र उपलब्ध कराएं				
	ख. सामग्री हथालना, प्रसंस्करण, उपयोगिता आदि के कारण पर्यूजीटिव उत्सर्जन नियंत्रण के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के बौरे				
	ग. ईधन की खपत	ईधन का नाम			
		(i)			
		(ii)			
	घ. स्टैक उत्सर्जन मानीटरिंग	संलग्न स्टैक			
		उत्सर्जन (SPM, SO ₂ , NO _x , Pb आदि) मि.ग्रा/एन एम ₃			
		(i)			
		(ii)			
	ड. परिवेशी वायु गुणवत्ता	अवस्थान परिणाम यूजी/एम ₃			
		प्राचल (SPM, SO ₂ , NO _x , Pb आदि) यूजी/एनएम ₃ में			
		(i)			
		(ii)			
13.	अपशिष्ट प्रबंधन				
	क. ई-अपशिष्ट प्रसंस्करण में उत्पन्न अपशिष्ट	क्र.सं.	प्रकार	प्रवर्ग	मात्रा
	ख. अपशिष्ट संग्रहण और परिवहन (ब्यौरा संलग्न करें)				
	ग. अपशिष्ट निपटान का ब्यौरा प्रस्तुत करें	क्र.सं.	प्रकार	प्रवर्ग	मात्रा

	घ. शोधन भंडारण और निपटान सुविधा या के लिए नाम				
	ड. कृपया परिसंकटमय अपशिष्टों के लक्षणों की विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न करें (यदि लागू हो तो, लीचेट परीक्षण सहित)				
14.	कच्चे सामान के रूप में उपयोग के लिए यथास्थिति, विक्रय संविदा या आयात द्वारा उपाप्त किए जाने के लिए प्रस्तावित अपशिष्टों के ब्यौरे	(i) नाम (ii) प्रतिवर्ष अपेक्षित मात्रा (iii) बेसल अधिसमय संख्या			
15.	व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलू	कृपया उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं के ब्यौरे दें			
16.	टिप्पणी :				
	क्या उद्योग ने उत्सर्जन/बहिस्त्राव के मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली/उपस्कर उपलब्ध कराए हैं?	हां/नहीं यदि हां तो ब्यौरे दें			
	क्या उद्योग परिसंकटमय अपशिष्ट प्राधिकरण में अधिकथित शर्तों का अनुपालन कर रहा है?	हां/नहीं			
17.	कोई अन्य संगत सूचना (i) (ii)				

मैं घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण/सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

हस्ताक्षर

तारीख :

नाम :

स्थान

पदनाम :

प्र॒र॒प ५

[नियम 15(1)देखें]

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समितियों द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी जाने वाली वार्षिक विवरणी के लिए प्र॒र॒प
सेवा में,

अध्यक्ष,
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
(पर्यावरण और वन मंत्रालय)
भारत सरकार,
'परिवेश भवन', ईस्ट अर्जुन नगर,
दिल्ली - 110032

1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम :
 2. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति का नाम और पता :
 3. इन नियमों के अधीन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में :
ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए प्राधिकृत/ रजिष्ट्रीकृत संग्रहण केंद्रों, भंजक और पुनःचक्रणकर्ताओं की संख्या
 4. मासिक औसत आधार पर संग्रहण किए गए : कृपया उपाबंध-1 के रूप में संलग्न करें अपशिष्ट की मात्रा सहित उसके प्रवर्ग
 5. संग्रहण किए गए ई-अपशिष्ट की प्रवर्गवार और : कृपया उपाबंध-2 के रूप में संलग्न करें उत्पादवार मात्रा के सारांश का विवरण
 6. व्यौरे सहित शोधन की विधि : कृपया उपाबंध-3 के रूप में संलग्न करें
 7. रीफर्बिंशिंग, भंजक और पुनःचक्रण सुविधाओं : कृपया उपाबंध-4 के रूप में संलग्न करें के संक्षिप्त विवरण
 8. कोई अन्य सूचना
 9. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त रिपोर्ट से तक की अवधि के लिए है।
- तारीख :
- स्थान :

अध्यक्ष या सदस्य सचिव
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति

[फा. सं. 23-71/2009-एचएसएमडी]

राजीव गौबा, संयुक्त सचिव